न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 194/2012 (अपील)

उमाशंकर आत्मज श्री बाबूलाल जाति खटीक निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

सीमा चौधरी पत्नि श्री धीरेन्द्र चौधरी जाति धाकड़ निवासी 21, शक्ति नगर, कोटा जर्ये मुख्तार आम नन्दराम चौधरी आत्माज डालूराम चौधरी जाति धाकड़

––रेस्पोडेन्टस.

अपील बनारांजगी निर्णय दिनांक 09.04.2012 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 30/10/2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील लाडपुरा जिला कोटा ने रास्ते के सम्बन्ध में दिनांक 09.04.2012 को निर्णय पारित किया है कि "प्रार्थीया को अपने खाते के ख0नं0 77/ 1.09, 78/1.94 हे.79/0.03, 81/0.33, 75/0.37 हे. में कृषि कार्य हेतु आने जाने , तैयार माल को घर लाने हेतु दाई मुख्य नहर से दक्षिण की ओर नीचे चलकर खनं. 74 के पूर्व की ओर होकर खनं. 74,75 के सहारे पश्चिम की मेड पर होकर खनं. 75 की उत्तरी में दक्षिणी मेड के सहारे होकर 10–10 फुट चौडाई व ख.नं. 75 की दक्षिणी सीमा समाप्ती तक लम्बाई के सहारे 10–10 फीट का रास्ता खुलासा किया जाता है । वर्तमान में उक्त रास्ता इस प्रकार से चालू है तथा पडोसी खातेदारों के एवं अप्रार्थी के भी काम आ रहा है ।"

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5.6.2012 को पेश की गई है कि अधीनस्थन्यायालय द्वारा धारा 251 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी त्रुटि की है जबकि राजस्थान राज्य की अधिसूचना दिनांक 4.7.1982 के अनुसार धारा 251 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश होने पर सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को भेजा जाना आवश्यक है तथा 45 दिन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय नजहीं करने पर 251 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करने का अधिकार तहसीलदार को है , प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली ग्राम पंचायत में भेजी ही नहीं गई, जिससे तहसीलदार जी का आदेश क्षैत्राधिकार के अभाव में शून्य है । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पूर्व में रास्ते के संबंध में धारा 251 के अन्तर्गत पेश किया था जिसे निस्तारण के लिये ग्राम पंचायत को भेजा गया जहां से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

निरस्त कर पत्रावली को तहसील में भेजा था जिसका अंतिम निर्णय नहीं करने के बावजूद भी नया प्रार्थना पत्र 251 पेश करने से नया प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ता नहीं होने पर भी नया रास्ता कायम करने में भारी त्रुटि की है । खसरा नम्बर 75 की कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट ने अपनी खातेदारी में वर्णित की है जो नहर से लगी हुयी है जब रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजी ही नहर से लगी हुयी है तो उसे दूसरे के खेत खसरा नम्बर 74 से किस प्रकार रास्ता कायम करने का अधिकार है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया है जो मौके पर अपीलान्ट की भूमि पर पत्थरों का कोट बना हुआ है जो पुराना है जिसमें मौके पर रास्ता 10 फीट का होने का प्रश्न ही नहीं उठता है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कियाहै कि पक्षकारों के मध्य इन्द्राज दुरूस्ती का वाद जैरकार है जिसके निर्णय के पूर्व प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया रास्ता कायम करने का आदेश दिया है जबकि नया रास्ता कायम करने के लिये धारा 251 में संशोधन कर परगना अधिकारी न्यायालय को क्षैत्राधिकार दिया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना अधिकार के होने से शून्य है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचित किये निर्णय दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया जिसकी जानकारी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.5.2012 को देने पर नकल दिनांक 29.5.2012 को प्राप्त करने पर हुई तारीख जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि ख.नं. 74 व 75 के मध्य पूर्व में वहां पर कोई रास्ता नहीं था इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज व तहसील रिपोर्ट भी नहीं है इस कारण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 में सिर्फ पूर्व रास्ते को खुलासा करने का प्रावधान है, नया रास्ता धारा 251 में नहीं दिया जा सकता है । ख0नं0 75 की भी रेस्पोडेन्ट ने अपनी बताई जो नहर से लगी हुई है इसलिये भी रास्ता कायम करना आवष्यक नहीं है । तहसीलदारजी द्वारा बिना रिपोर्ट मंगवाये निर्णय दिया है जो संवेधानिक रूप से उचित नहीं है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें । वकील अपीलान्ट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त 2014(2)आर.आर.टी.1154 एवं 2016(2) आर आर टी 815 भी प्रस्तुत किये ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 251 का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे नियमानुसार ग्राम पंचायत में भिजवाया गया था, ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय निर्णय नहीं करने पर नियमानुसार मौका रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक वृत्त कैथून दिनांक 4.6.2012 ली जाकर निर्णय पारित किया है । जिसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया है । प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से लिमिटेशन एक्ट के तहत खारिज योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2010 आरआरटी(2)801 प्रस्तुत किया ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

6. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 9.4.2012 के विरूद्व दिनांक 5.6.2012 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र के पेश की गई है, वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के विरूद्व 2010 आरआरटी(2)801 की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया, किन्तु न्यायहित में हम इस अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार करना उचित समझते है, अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.4.2012 की प्रथम जानकारी तिथि 28.5.2012 अपील अन्दर मियाद मानी जाकर प्रार्थन पत्र लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है ।

7. वकील अपीलान्ट के कथन से हम सहगत नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में नहीं भिजवाया गया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा स्वयं ने भी अपील मेमों के बिन्दु सं0 3 में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व में धारा 251 के अन्तर्गत पेश किया था जिसे निस्तारण के लिये ग्राम पंचायत को भेजा गया जहां से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त कर पत्रावली को तहसील में भेजा था । वकील अपीलान्ट का यह तथ्य भी साबित नहीं हो रहा है कि बिना मौके के जांच कराए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्ययालय की पत्रावली में भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कैथून की मौका रिपोर्ट दिनांक 4.6.2012 ली जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता खुलासा कराया गया है वह पुराना प्रचलित रास्ता था, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 9.4.2012 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 9.4.2012 यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner